E Content for the student of Patliputra University

subject - Political science

Class - B.A.(Hons.) Part - II Paper - III

Topic - Real Position of Indian President

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Prof. Pol. Sc.
R.R.S. College, Mokama

भारतीय संविधान संविधान की धारा 52 के द्वारा राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। अन्य धाराओं में इस पद से संबंधित अन्य प्रावधान किये गये हैं। इनके निर्वाचन की प्रक्रिया, इनके कार्य एवं अधिकार आदि से संबंधित प्रावधान संविधान में व्यापक रूप में वर्णित हैं। इस पद के साथ कई मान्यताएँ पद की गरिमा को बढ़ाते हैं। जैसे - भारत का राष्ट्राध्यक्ष, भारत का प्रथम नागरिक, भारतीय कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग कर्ता, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, संसद का अंग, संसद के निर्णयों पर इनकी स्वीकृति, लोकसभा, राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून का रूप मिलना। आपातकालीन शक्तियों का प्रयोगकर्ता, राष्ट्र के संचित निधि पर नियंत्रण आदि आदि।

इसके बावजूद संविधान लागू होने के बाद से ही यह प्रश्न लगाया जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या वह संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप में करता है? क्या वह ब्रिटिश रानी की तरह मात्र नाममात्र का प्रधान है? क्या राष्ट्रपति अपनी सक्रिय भूमिका के निर्वाह में सक्षम हो सकता है?

ऐसे प्रश्न केवल राजनीति विज्ञान के छात्रों को ही नहीं बल्कि अनेक विद्वान पंडितों, कानून के व्याख्याकारों को भी

सोचने के लिए बाध्य करता है। एवं प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, ने भी इस प्रश्न को कई बार उठाया। वे यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भारतीय संविधान ब्रिटेन की रानी की तरह राष्ट्रपति को एक नाममात्र के प्रधान के रूप में मान्यता देता है। वे एक सक्रिय राष्ट्रपति के हिमायती थे और मानते थे कि भारतीय संविधान के प्रावधानों से यह स्पष्ट है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में दो मान्यताएँ हैं। प्रथम, ब्रिटिश रानी की तरह वह नाममात्र का प्रधान है। द्वितीय ब्रिटिश रानी की तरह नाममात्र का प्रधान नहीं है बल्कि संवैधानिक दायरे के अन्तर्गत वह ~~सक्रिय~~ सक्रिय भूमिका का निर्वाह करता है। इस तर्क के समर्थकों का दावा है कि भारतीय संविधान संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान करता है, इसका अर्थ यह नहीं कि यह ब्रिटिश मॉडल का हूबहू नकल है।

<u>भारतीय राष्ट्रपति के नाममात्र प्रधान के पक्ष में तर्क</u> –

भारतीय राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान है इस संदर्भ में निम्न लिखित तर्क दिये जाते हैं –

(1) संसदीय शासन प्रणाली – भारतीय संविधान संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान करता है। इसमें कार्यपालिका के दो पक्ष होते हैं – आलंकारिक और वास्तविक। आलंकारिक पक्ष का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सम्राट, जापानी सम्राट, कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसे देशों के गवर्नर जनरल करते हैं। भारत में इसी भूमिका का निर्वाह राष्ट्रपति करते हैं। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति लोकसदन के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद् के हाथों में होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन प्रणाली की यह सामान्य प्रक्रिया भारतीय राष्ट्रपति पर भी लागू होता है।

(ii) संसद के प्रति उत्तरदायित्व — संसदीय शासन प्रणाली संसद की सर्वोच्चता पर आधारित होता है। सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। मंत्रीगण तथा अन्य विधायी कार्य संसद की स्वीकृति से ही किये जाते हैं। इस शर्त की पूर्ति संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल करती है। साधन और धन की आवश्यकता सरकार समझती है। उसके अनुरूप संसद से विधेयक पारित कराया जाता है। संसद के निम्न सदन का विश्वास खोते ही प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को इस्तीफा देना होता है।

(iii) शक्तिशाली राष्ट्रपति से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है — शक्तिशाली राष्ट्रपति अगर सरकार के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगेंगे तो सरकार का चलना कठिन हो जायेगा। मंत्री परिषद में टकराव की स्थिति होगी और संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा।

(iv) राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक परम्परा का पालन करना उचित — यह सच है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति के साथ अनेक शक्तियों का प्रावधान करता है। किन्तु संविधान केवल लिखित प्रावधानों से नहीं चलता है। अलिखित संवैधानिक परम्परा, संविधानवाद आदि का पालन करना होता है। इस दृष्टि से आवश्यक है कि भारतीय राष्ट्रपति संसदीय शासन की परम्परा एवं मर्यादा का पालन करें।

भारतीय राष्ट्रपति के वास्तविक प्रधान के पक्ष में तर्क —

इस संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं —

(i) संविधान का लिखित स्वरूप — भारतीय संविधान ब्रिटिश संविधान की तरह अभिसमयों, परम्पराओं पर आधारित अलिखित नहीं है। यहाँ लिखित संविधान है। सारी बातें लिखित एवं स्पष्ट हैं। अतः भारतीय राष्ट्रपति संविधान प्रदत्त कार्यों एवं अधिकारों के उपयोग के लिए स्वतंत्र है।

(ii) निर्वाचित राष्ट्रपति — राष्ट्रपति का पद निर्वाचन पर आधारित है। ब्रिटिश रानी की तरह वंशानुगत नहीं। इसका चुनाव निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। निर्वाचित पद होने के कारण

राष्ट्रपति को अपने निर्वाचकों के प्रति दायित्व होता है।

(iii) शपथ ग्रहण — भारतीय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान की रक्षा का शपथ लेता है। बल्कि नागराज का प्रधान राष्ट्रपति संविधान की रक्षा के समय मजबूर रोक की भूमिका के लिए बाध्य नहीं होता है। ऐसी आवश्यकता ब्रिटिश सम्राट या रानी को नहीं होता है।

(iv) महाभियोग द्वारा पदच्युति — ब्रिटिश रानी के विपरीत भारतीय राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत करने का प्रावधान है। अगर राष्ट्रपति मूकदर्शक की या रबर स्टाम्प की भूमिका में होगा तो पदच्युति की क्या आवश्यकता है। ब्रिटेन में तो परम्परा स्थापित है कि "राजा गलती नहीं करता इसलिए उसे दण्डित भी नहीं किया जा सकता।" इसप्रकार ब्रिटिश रानी से भारतीय राष्ट्रपति की तुलना नहीं की जा सकती।

(v) संविधान की धारा 53 का प्रावधान - भारतीय संविधान की धारा 53 में यह प्रावधान किया गया है कि समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इसे बाद में संविधान के 42वें एवं 44वें संशोधनों द्वारा परिवर्तित किया गया। वर्तमान स्थिति है कि राष्ट्रपति एकबार मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है। पुनः वही प्रस्ताव आने पर राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति दे देते हैं।

(vi) संसद से पारित विधेयकों पर सहमति की अवधि निश्चित नहीं — राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति कितने दिनों में देगा, यह निश्चित नहीं है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह राजीव गाँधी की सरकार द्वारा पारित पोस्टल विधेयक पर सहमति न देकर स्वतः मृत होने के लिए छोड़ दिया।

(viii) लोकसभा में स्पष्ट बहुमत के अभाव में राष्ट्रपति की भूमिका -

लोकसभा में स्पष्ट बहुमत के अभाव में राष्ट्रपति किसी को प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलाकर उसे तर्कीकरण खड़ा कर लाभ उठाने का अवसर दे सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के बावजूद कुछ अलग पहचान रखता है जिससे वह मूक दर्शक या रबर स्टाम्प की भूमिका से ऊपर की पहचान बना सकता है। राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद, राधाकृष्णन, के० आर० नारायण, राष्ट्रपति कलाम साहब जैसे कुछ राष्ट्रपतियों ने सरकार के विचारों से भिन्न सलाह दिया और उसका प्रभाव भी पड़ा। इन्दिरा गाँधी काल में ही राष्ट्रपति की पहचान P.M.'s President की हो गई। इसकारण राष्ट्रपति के प्रभाव में ह्रास देखने को मिला। सच्चाई यह है कि कोई भी सरकार बड़े व्यक्तित्व वाले या स्वतंत्र पहचान वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहती है। इससे उन्हें असहजता की संभावना रहती है।

ब्रिटेन भी रानी सरकार को प्रोत्साहित करने, परामर्श करने तथा चेतावनी देने का कार्य करती है। किंतु सम्राट या रानी का पद दलीय विवादों से परे है, उनके पास लम्बा अनुभव है तथा ब्रिटेन की जनता उन्हें अपना हितैषी मानती है इसलिए उनके इन तीनों शक्तियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारतीय राष्ट्रपति के साथ यह बात नहीं है।

भारतीय राष्ट्रपति भी अगर निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करे, संवैधानिक तर्कों के आधार पर सरकार को गलत कार्य से रोके तो वह जनता की नजर में अच्छा हो सकता है। उसके निष्पक्ष निर्णायक की भूमिका ही उसकी शक्ति का स्रोत होगा। इससे उसकी प्रतिष्ठा, पद का मूल्य तथा लोकप्रियता बढ़ेगी। अतः एक सक्रिय राष्ट्रपति की संभावनाएँ भारतीय संविधान में पर्याप्त हैं।